

कार्यालय उप वन संरक्षक, दौसा

(कलेक्ट्रेट के पास भाकरी रोड दौसा, (Phone & Fax No. 01427-223304, Email-dcf.dausa.forest@rajasthan.gov.in))
 क्रमांक एफ () एफ.सी.ए/उवसं/2022/10098 दिनांक : 01/11/2022

निमित्त :-

अधिशायी अभियन्ता,
 सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड दौसा, जिला-दौसा

विषय:- Diversion of 3.0207 Ha of forest land in favour of Public Works Department Rajasthan Jaipur for Construction of Missing Link Road from NH 148 to Moroli via Peepli Patalwas Koliwada Dob Paplaj Mata Sar Dhaun (MDR-145) hn 9.00 to 15.00, in the State of Rajasthan (Total Length 4.530km).

संदर्भ:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज0 जयपुर के पत्रांक 3599 दिनांक 01.11.22

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में दी गई शर्तों की पालना हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 5890 दि. 25.07.2022 से मांग पत्र जारी किया गया था। वर्तमान में श्रमिक दर में परिवर्तन (259/- रुपये प्रति मानव दिवस) हो जाने के कारण बढी हुई दर से राशि जमा करवाये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 9726 दि. 13.10.2022 से संशोधित मांग पत्र जारी किया गया था। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

क्रम संख्या	सैद्धान्तिक स्वीकृति में दी गई शर्त संख्या	पूर्व में मांग की गई राशि (रुपयें में)	संशोधित राशि (रुपयें में) (259/-रुपये प्रति मानव दिवस)
1.	A-1 (As per CA NFL MODEL)	9,64,000/- (252/-रुपये प्रति मानव दिवस)	$964000 \times \frac{259}{252} = 9,90,778/-$ (अंकेन नौ लाख नब्बे हजार सात सौ अठहत्तर रुपये)
2.	A-2 (Eco class 3 NPV rate 9,57,780/- Rs per Ha.	28,93,167/-	$957780 \times 3.0207 = 28,93,167/-$ (अंकेन अठ्ठाईस लाख तिरानवें हजार एक सौ सड़सठ रुपये)
3.	A-6 (6040 M boundary wall, 4ft height.)	1,58,24,800/- 225/-रुपये प्रति मानव दिवस)	$15824800 \times \frac{259}{225} = 1,82,16,103/-$ (अंकेन एक करोड बियासी लाख सोलह हजार एक सौ तीन रुपये)
योग		1,96,81,967/-	2,21,00,048/- (अंकेन दो करोड इक्कीस लाख अडतालीस रुपये)

उक्त राशि को क्षतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFCP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करवाये जाने बाबत आपको अवगत करवाया गया था, परन्तु संदर्भित पत्र की पालना में उपरोक्त सारणी में क्रम सं. 1 एवं 2 में वर्णित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण राशि एवं एन.पी.वी राशि को क्षतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFCP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करवाया जावेगा एवं क्रम सं. 3 पर वर्णित सुरक्षा दीवार निर्माण हेतु राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट 'उप वन संरक्षक, दौसा' के पक्ष में बनवाया जाकर इस कार्यालय में प्रस्तुत किया जावेगा।

उक्त राशि जमा कर ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई राशि का बैंक चालान/UTR संख्या /NEFT नम्बर सहित (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित करें एवं उप वन संरक्षक, दौसा के नाम तैयार डी.डी. इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। तदोपरान्त विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।

भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में दी गई समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना एवं वचनबद्धता प्रमाण पत्र अविलम्ब प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

भवदीय

(वी. के.न कुमार)
 उप वन संरक्षक,
 दौसा

दिनांक:-

क्रमांक/सम/

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, नोडल अधिकारी, एफसीए, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, अरावली भवन, जयपुर।

उप वन संरक्षक,
दौसा